



NORTH EASTERN RAILWAY
Electrical Department

Office of the
Principal Chief Electrical Engineer
North Eastern Railway, Gorakhpur
Email. celener@ner.railnet.gov.in
Pin-273012

No. L/55/TRS/Electric loco/

Date- 24.01.25

Sr.DEE/TRS/GD, GKP, IZN & SYH

Sub: Regarding accounting of materials received through Purchase Order and disposal of rejected non-stock material through UDM portal in Loco Sheds.

Ref: Dy. CVO/Store's L. No Z/NOC/PC/2024/08/00930/145 Dtd: 20.01.25

Vide letter under ref., Vigilance Department has issued following system improvements:

1. All the materials received in the loco shed under Purchase Order, regardless of the delivery method, must be recorded in the RPF register of the main gate.
2. If non-stock material received through a Purchase Order is rejected, it should be disposed of using the UDM portal.
3. The user section of the loco shed must maintain a record of the materials used.

In this regard, it is advised to ensure that these system improvements are strictly followed under intimation to this office.

DA: As above.


(Vivek Mishra) 24/1/25
CELE/NER

Copy:

Dy. CVO /Store: For information please

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



N.E.Railway

Office of the
General Manager/Vig.
Gorakhpur-273012

संख्या:-Z/NOC/PC/2024/08/00930/145

दिनांक-20.01.2025

प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय:- लोको शेड में क्रयादेश के अन्तर्गत प्राप्त सामग्रीयों के लेखांकन और अस्वीकृत नांन-स्टांक सामग्री को UDM पोर्टल के माध्यम से निस्तारण करने के सम्बन्ध में ।

एक सतर्कता निवारक जाँच में लोको शेड में क्रयादेश के अन्तर्गत स्पीड पोस्ट एवम् कोरीयर के माध्यम से प्राप्त सामग्री की entry मेनगेट के आर0पी0एफ0 रजिस्टर में किया नहीं पाया गया, यद्यपि सामग्री का निरीक्षण इत्यादि की कार्यवाही किया पाया गया। क्रयादेश के अन्तर्गत प्राप्त नांन-स्टांक सामग्री, अस्वीकृत होने पर UDM पोर्टल पर अस्वीकृत मेमो नहीं बनाया गया बल्कि अस्वीकृत सामग्री को वापस ले जाने के लिए फर्म को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि सामग्री के उपयोगकर्ता सेक्सन द्वारा सामग्री को कहाँ प्रयोग किया गया, के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया है, जिससे कि सामग्री के वास्तविक प्रयोग के सम्बन्ध में पता चल सके। अतः वउमप्र महोदय के द्वारा निम्न पद्धति सुधार जारी करने का अनुमोदन दिया गया है-

- 1- लोको शेड में क्रयादेश के अन्तर्गत किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी सामग्रीयों की entry, मेनगेट के आर0पी0एफ0 रजिस्टर में अवश्य किया जाय।
- 2- क्रयादेश के अन्तर्गत प्राप्त नांन-स्टांक सामग्री, अस्वीकृत होने पर सामग्री का निस्तारण UDM पोर्टल के माध्यम से किया जाय।
- 3- लोको शेड के उपयोगकर्ता सेक्सन द्वारा सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में रिकार्ड maintain किया जाय।

कृपया उक्त पर कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये ।

Rich
24/1/25
C#UE
To ensure
h
23/1
SSG/MS

(अंकित सक्सेना)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता